**UPSR**040013042026

## न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

**पीठासीन अधिकारी–** (विनीत कुमार यादव) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**02316

बेल अप्लीकेशन/629/2026

**राज्य बनाम. सुल्तान उर्फ मुजफफर हुसैन**

दिनांक–12.03.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–28/2026, अन्तर्गत धारा–3, 5A, 8(1) गो०नि०अधि० व धारा–303(2) बी०एन०एस० व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती के प्रकरण में अभियुक्त **सुल्तान उर्फ मुजफ्फर हुसैन** के अधिवक्ता द्वारा इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे थाना हाजा की पुलिस द्वारा फर्जी घटना दिखाकर फंसाया गया है। वह घटना के बारे में अनभिज्ञ है तथा निर्दोष है। अतः उसे उचित जमानतों पर रिहा किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध अजमानतीय है तथा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अजमानतीय, संज्ञेय व गम्भीर प्रकृति का है तथा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

अतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

**आदेश**

अभियुक्त **सुल्तान उर्फ मुजफ्फर हुसैन** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–28/2026, अन्तर्गत धारा–3, 5A, 8(1) गो०नि०अधि० व धारा–303(2) बी०एन०एस० व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

**(विनीत कुमार यादव)**

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

श्रावस्ती